राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
NORTHERN REGIONAL COMMITTEE

Office :- A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302004
Website : "http://www.ncte-in.org" E-mail : ncte@raj.nic.in
Ph. No. :- 0141-2623501, 2622661 Fax No. :- 0141-2620116

SPEED POST / REGISTERED

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1322/2004/ 9330

13 October, 2004

ORDER

Havard Institute of Management & Technology, 8, Institutional Area, Greater Noida-201306, Uttar Pradesh submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for BTC of Two Year duration in terms of section 15(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition to Havard Institute of Management & Technology, 8, Institutional Area, Greater Noida-201306, Uttar Pradesh for an annual intake of 50 seats (Fifty Only) (50 seats in the 1st year and the same for the IInd year in BTC course of two year duration with effect from 6th October, 2004 subject to compliance of the following Conditions before the commencement of the academic session.

(a) Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./SCERT is to be completed before the commencement of the session.

(b) The countersigned statement of all faculty members from the Director, SCERT should be submitted before the commencement of the academic session.

(c) The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.

(d) The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.

(e) That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the Teachers & Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five years) in a Nationalized Bank.

(f) Before starting the course the institution should seek prior permission of the competent authority for conducting the exams and approved of the curriculum that they are going to adopt for the course.

(g) Institutions if starts the training programme without prior approval/permission of competent authority/examining body regarding the curriculum they have adopted and conduct of examination for award of Diploma/Certificate the recognition of such institutions shall withdrawn.

(h) Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under section 17 (1) of NCTE Act, 1993.

3. The Recognition is subject to the condition that the affiliating body shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal / Head of Department), as per the norms of the NCTE / State Govt. / Affiliating body.

Contd.2...

Harlal Inst. of Mgmt & Tech. Secretary

Regional Committee Tilak Nagar Jaipur

137

Harlal Institute of Management & Tech. HIMT Gr. Noida

Harlal Inst. of Mgmt & Tech. Secretary

संख्या– 2278 /15–11–2013

प्रेषक

अशोक कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांक : 13 अगस्त, 2013

विषय– निजी संस्थान हरलाल कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान हरलाल कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषय निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013–14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेवसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट बेवसाइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2013–14 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या–2278 (1)/15–11–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन–110002

2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ, मानसरोवर (निकट मानसरोवर स्टेडियम), जयपुर, राजस्थान।

3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।

5– सचिव/प्रबन्धक, हरलाल कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर ।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।